

FORM NO. III

①

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला -अलवर

मुकदमा गुरमेल सिंह बनाम श्रीमती सिंह सं. 212 RTA नं. 2755/19 सं.

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज	नाम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>06.09.2019 आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने गूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहसा सुनी गई।</p> <p>वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहसा एकपक्षीय वकील प्रार्थी पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी आदेश तक जर्ज्य एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 03.10.2019 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 630 रकबा 0.34, 631 रकबा 0.26, 632 रकबा 0.69 हैक्ट0 कित्ता 3 रकबा 1.29 हैक्ट0 व 179 रकबा 0.01, 180 रकबा 0.19, 205 रकबा 0.08, 225 रकबा 0.09, 232 रकबा 0.07, 250 रकबा 0.04, 627/1002 रकबा 0.01, 628 रकबा 0.07 हैक्ट0 कुल कित्ता 8 रकबा 0.56 हैक्ट0 व 184 रकबा 0.46, 186 रकबा 0.26, 204 रकबा 0.01, 208 रकबा 0.09, 211 रकबा 0.08, 215 रकबा 0.13, 216 रकबा 0.06, 217 रकबा 0.06, 219 रकबा 0.11, 220 रकबा 0.01, 222 रकबा 0.23, 224 रकबा 0.04, 243 रकबा 0.17, 246 रकबा 0.17, 251 रकबा 0.04, 645 रकबा 0.14 हैक्ट0 कित्ता 16 रकबा 2.16 हैक्ट0 व 629/0.67 हैक्ट0 वाके ग्राम सहजपुरा तहसील रामगढ़ जिला अलवर में प्रार्थीगण के हिस्से तक किसी प्रकार की रुकावट व मजाहगत नही करें, रहन, बैय नही करे, किसी प्रकार निर्माण नही करे, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। बशर्ते प्रार्थीगण दिनांक 03.10.2019 तक अप्रार्थीगण की तलबी करवाकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। पत्रावली दिनांक 03.10.2019 को पेश हो।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

05.02.24

..... वकील हाथी उचित

सारिक आदेश दिनांक.....

की पालना में पत्रावली वास्ते..... जवाब पेश की तारीख

दिनांक 02.02.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

02.02.24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील हाथी अनुपस्थित।
वकील व उनके हाथी को न्यायालय द्वारा बार-
बार आवाज दिलायी गई। इसके बावजूद वकील
व उनके हाथीगिरा उपस्थित नहीं आये। अतः हाथी
नं. 212 RTI वकील व उनके हाथी की की
अफम हाजिरी - अफम पेशी में खारिज किया जाये।
पत्रावली के लाल शूमार चेकर नम्बर से कम हो बाइ
तमिल तबकील बस बाह के साथ संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०